भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4366
19.07.2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना

4366. श्री चंद्र शेखर साहूः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पारिस्थितिकी तंत्र के एकीकृत प्रबंधन में राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए ''राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना'' (एनपीसीए) में कोई बदलाव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त योजना का कार्यान्वयन ओडिशा सहित सभी राज्यों में किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या केन्द्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण (सीडब्ल्यूआरए) का कार्यकाल समाप्त हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम के अंतर्गत सभी आर्द्रभूमि को अधिसूचित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सभी राज्यों को राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण गठित करने को कहा गया है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन नहीं किया है; और
(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) वर्तमान में, केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के बीच लागत-सहभाजन आधार पर देश में नमभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामश: राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) को कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से उनके क्षेत्राधिकार में नमभूमियों के लिए समेकित प्रबंधन योजना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वर्तमान में इन परियोजनाओं को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच 60:40 ओडिशा सहित (पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 और संघ शासित प्रदेशों के लिए 100%) के लागत सहभाजन पैटर्न पर वित्त पोषित किया जाता है।

(ग) और (घ) देश में नमभूमियों के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन हेतु केन्द्रीय सरकार ने राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, केन्द्रीय मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके नमभूमियां (संरक्षण) और प्रबंधन) नियम, 2010 को अधिक्रांत करते हुए दिनांक 26.09.2017 की अधिसूचना द्वारा नमभूमियां (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के प्रावधान के अनुसार नमभूमियों के नियमों की अधिसूचना को जारी करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय नमभूमि विनियामक प्राधिकरण (सीडब्ल्यूआरए) के स्थान पर सचिव (ईएफसीसी) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नमभूमि समिति (एनडब्ल्यूसी) को गठित किया गया है। नमभूमियों से

संबंधित नियमों के तहत, नमभूमियों को अभिज्ञात करने और अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य नमभूमि प्राधिकरणों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

(ड.) और (च) जी हां। नमभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के नियम 5 (1) और (2) के प्रावधान के अनुसार, राज्य/संघ शासित प्रदेश नमभूमि प्राधिकरण पहले ही गठित किए जा चुके हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को नमभूमि पारिस्थितिकी, जलविज्ञान, मत्स्यन, भूदृश्य आयोजना और सामाजिक-आर्थिक - प्रत्येक क्षेत्र में एक विशेषज्ञ नामित करना और संक्षिप्त दस्तावेजों, प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक तकनीकी समिति गठित करना और नमभूमि प्राधिकरण द्वारा संदर्भित किसी भी तकनीकी मामले पर सलाह देना; और प्राधिकरण को जनता द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें अग्रेषित करने के लिए एक कार्यतंत्र उपलब्ध कराने के लिए चार सदस्यों को शामिल करके शिकायत समिति को गठित करना अपेक्षित है।

*****